विविध बैंक प्रकरण सं0 35/2019 (RCMS 2019/00055) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा स्टेशन रोड, सूरतगढ, श्रीगंगानगर जरिये श्री गोविंद कुमार लढा, मुख्य प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय–04, हनुमानगढ (राज.) बनाम 1. श्रीमति अंगूरी देवी (मृतक) पत्नि श्री जगन नाथ शर्मा निवासी मकान नं 262, वार्ड नं 29, लोको वार्ड नं. 20, नजदीक कीर्ति नगर, शिववाडी रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. श्री अशोक शर्मा पुत्र स्त्र श्री जगननाथ शर्मा निवासी मकान नंत्र 262, वार्ड नं. 29, लोको वार्ड नं. 20, नजदीक कीं नगर, शिववाडी रोड, सूरतगढ श्रीगंगानगर एवं 1 श्री अशोक शर्मा पुत्र स्व. श्री जगननाथ शर्मा 2. श्री नानकराम पुत्र स्व. श्री जगननाथ शर्मा 3. श्रीमती सोना देवी पुत्री स्व. श्री जगननाथ शर्मा 4. श्रीमती मीना देवी पुत्री स्व. श्री जगननाथ शर्मा निवासी मकान नं 262, वार्ड नं. 29, लोको वार्ड नं. 20, नजदीक कीर्ति नगर, शिववाडी रोड, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

22.07.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक ने अंगूरी देवी (मृतक) एवं अशोक शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 4.50 लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) का ऋण दिनांक 25.06.2019 को 1.75 लाख खाता संख्या 30805248593 में एवं 2.75 लाख का खाता संख्या 33493723057 मे दिनांक 02.12.2013 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अंगूरी देवी की अचल सम्पत्ति वार्ड नं. 20/29, नजदीक रेलवे स्टेशन क्वार्टर रामलीला ग्राउंड, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 21' गुणा 47') में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक **31.05.2017 एवं 03.05.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया।** अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 15.09.2017 को 3,31,922/—रूपये ऋण राशि(खाता संख्या 30805248593 में 65,431/— एवं खाता संख्या 33493723057 में 2,66,491/—) व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 15.09.2017 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी अंगूरी देवी (मृतक) द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी **अचल सम्पति वार्ड नम्बर 20/29, नजदीक रेलवे स्टेशन क्वार्टर, रामलीला ग्राउंड, सूरतगढ़ (क्षेत्रफल 21' गुणा 47') का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक** को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्रीमती अंगूरी देवी (मृतक) एवं अशोक शर्मा को दिनांक 25.06.2019 को 1.75 लाख खाता संख्या 30805248593 में एवं 2.75 लाख का खाता संख्या 33493723057 मे दिनांक 02.12.2013 कुल 4.50/— लाख रूपये (अखरे रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) के ऋण की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अंगूरी देवी (मृतक) द्वारा अपनी अचल सम्पति वार्ड नम्बर 20/29, नजदीक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रेलवे स्टेशन क्वार्टर, रामलीला ग्राउंड, सूरतगढ़ (क्षेत्रफल 21' गुणा 47') प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणी का खाता दिनांक 31.05.2017 एवं 03.05.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.09.2017 जारी किया गया है जिस पर अप्रार्थी अशोक शर्मा, नानक राम (अंगूरी देवी की उतराधिकारी) एवं **सुनीता शर्मा** स्वयं के हस्ताक्षर है। जिसके अनुसार अशोक शर्मा, नानकराम एवं सुनीता शर्मा को उक्त धारा 13(2) का नोटिस स्वयं पर तामील हो चुका है, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है एवं अप्रार्थी ऋणी अंगूरी देवी के शेष उतराधिकारी सोना देवी एवं मीना देवी को जारी धारा 13(2) के नोटिस की पोस्ट ऑफिस की **रसीद एवं ट्रेक कंसाईन्मैंट की प्रतियां प्रस्तुत की है, अस्पष्ट होने के कारण अप्रार्थीगण के नाम दिखाई नहीं दे रहे है जिससे उनके नामों का मिलान नहीं होता है, इसलिए समस्त अप्रार्थीगण की तामील नहीं मानी जा सकती है। धारा 13(2) के नोटिस पर** जिस **सुनीता शर्मा के हस्ताक्षर है, उसका इस प्रकरण से क्या सम्बन्ध है? स्पष्ट नहीं होता है।** सुनीता शर्मा को इस प्रकरण में पार्टी भी नहीं बनाया गया है और ना ही उसका नाम अंगूरी के उतराधिकारी प्रमाण पत्र में अंकित है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति वार्ड नम्बर. 20/29, नजदीक रेलवे स्टेशन क्वार्टर, रामलीला ग्राउंड, सूरतगढ़ (क्षेत्रफल 21' गुणा 47') जो ऋणी अंगूरी देवी(मृतक) (उतराधिकारी अशोक शर्मा, नानक शर्मा, सोना देवी एवं मीना देवी) के नाम से है और जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस दिनांक 15.09.2017 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 15.09.2017 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी अंगूरी देवी के उतराधिकारी अशोक शर्मा, नानकराम, सोना देवी, मीना देवी एवं अशोक शर्मा के नाम जारी है एवं अशोक शर्मा एवं नानक शर्मा के स्वयं के धारा 13(2) के नोटिस पर हस्ताक्षर है एवं शेष अंगूरी देवी के उतराधिकारी सोना देवी एवं मीना देवी को जारी पोस्ट ऑफिस की रसीदें एवं ट्रेक कंसाईनमैंट जो कि अस्पष्ट है को, पेश किया है, जिसमें **अप्रार्थीगण पर नोटिस की तामील होना नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस पर सुनीता शर्मा के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसका इस प्रकरण से क्या सम्बन्ध है? स्पष्ट नहीं किया है। इसके अतिरिक्त खाता संख्या 30805248593 का ऋण स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र एवं स्वीकृति पत्र भी संलग्न नहीं है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा स्टेशन रोड़, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 अस्वीकार किया जाता** है **और प्रार्थी बैंक** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी पुनः प्रकरण को नियमानुसार पेश करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर